न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 450–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–9–2012 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला उज्जैन, प्रकरण कमांक 106/बी–103/2011–12

.....

नटराज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. उज्जैन
द्वारा अध्यक्ष दिनेश पिता भागीरथ यादव
निवासी निकास चौराहा, उज्जैन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन जिला पंजीयक एवं कलेक्टर स्टाम्प्स्
जिला उज्जैन

..... अनावेदक

.....

श्री एम0एल0माथुर, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 27/7/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की निरीक्षण टीम द्वारा निरीक्षण अवधि वर्ष 2010–11 की निरीक्षण टीप में आवेदक द्वारा निष्पादित बन्धक पत्र पर कम मुद्रांक शुल्क अदा किये जाने संबंधी आपत्ति ली गई । महालेखाकार की निरीक्षण टीम द्वारा ली गई, आपत्ति के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने प्रकरण कमांक 106/बी–103/2011–12 दर्ज कर दिनांक 29–9–2012 को आदेश पारित किया जाकर विकास व्यय की राशि रुपये

2,34,13,487/– मान्य करते हुये रुपये 1,78,508/– मुद्रांक शुल्क, रुपये 2,23,135/– पंजीयन शुल्क निर्धारित करते हुये कमी मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क 4,01,643/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दस्तावेज के शीर्षक के आधार पर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में अवैधानिकता की गई है, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुरूप दस्तावेज की विषयवस्तु के आधार पर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करना चाहिये, क्योंकि उक्त दस्तावेज में स्पष्ट उल्लेख है कि कॉलोनी के आंतरिक विकास कार्य के पूर्ण होने तक कि अवधि के लिये भूमि बंधक की गई है, इस कारण यह दस्तावेज बंधक पत्र की श्रेणी में नहीं आता है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन दस्तावेज प्रतिभूत की श्रेणी में आता है और जिस पर अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 38 के अनुसार केवल 250 रुपये मुद्रांक शुल्क देय है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया है जिसमें मुख्य रूप से इस न्यायालय में उठाया गया आधार ही कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष उठाया गया है कि प्रश्नाधीन दस्तावेज बंधक पत्र नहीं होकर प्रतिभूति पत्रक है और इस संबंध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिभूति की राशि की ही बंधकित रकम कहलाती है, जो नगर निगम के प्राक्कलन में दर्शाई गई है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा असल बंधक पत्र भी कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार के अभिलेख प्रस्तुत किये हैं, ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विधिसंगत मान्य किये जाकर हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों

में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर